घरेलू हिंसा क्या है?

घरेलू हिंसा शब्द का प्रयोग किसी व्यक्ति द्वारा सहन की गई किसी भी प्रकार की हिंसा या दुर्व्यवहार के वर्णन के लिये काम में लिया जाता है जो उनके पतिपत्नी, घनिष्ठ जोड़ीदार, परिवारिक सदस्य या अनौपचारिक देखभालकर्ता ने की।

निम्नलिखित में से एक या अधिक प्रकार का व्यवहार घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आता है:

- ***शारीरिक दुर्व्यवहार*** में धकेलना; ढकेलना; मारना; मुक्का मारना; गला दबाना; लात मारना; सामान फेंकना; आपको डराने के लिये खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करना; अथवा आपको, आपके बच्चों को या आपके पालतू पशू को शारीरिक नुकसान पहुँचाने की धमकी देना आदि चीजें आ सकती हैं। आपके शारीरिक सुख को जोखिम में डालने वाला व्यवहार भी शारीरिक दुर्व्यवहार में आ सकता है, उदाहरण के तौर पर, आपको या आपके बच्चों को स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने से मना करना अथवा यथोचित भोजन और/ या पानी की सीमित व्यवस्था करना।
- ***मौखिक दुर्व्यवहार*** में गाली बकना या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना; निरंतर आलोचना या उपहास; हंसी उड़ाती या अनादरपूर्ण टिप्पणियां करना आदि चीजें आ सकती हैं। । आपके मित्रों, परिवार या सहकर्मियों को आपके बारे में झूठी बातें बताना या अफवाहें फैलाना भी मौखिक दुर्व्यवहार में आ सकता है।
- ***भावनात्मक दुर्व्यवहार*** में किसी भी प्रकार का वो व्यवहार आता है जिससे दुःख; भय; व्यग्रता; भ्रांति और या असहायता की भावनायें जाग्रत होती हैं। उदाहरण के तौर पर:आपके कार्यों या क्षमताओं की निरंतर आलोचना या अनादर करना; अथवा ऑस्ट्रेलिया से आपको निर्वासित करा देने की, आपको छोड़ देने की या आपको अपने बच्चों से नहीं मिलने देने की धमकियां देना।
- बलपूर्वक या ईच्छा के बिना बनाया गया किसी भी प्रकार का यौन संपर्क ***यौन दुर्व्यवहार*** कहलाता है। छूना चुम्मा लेना, मौखिक यौन संपर्क, चूत में या गुदा में संभोग, अश्लील साहित्य देखना या अन्य किसी भी प्रकार का अनचाहा यौन कार्य करना इसके अन्तर्गत आ सकता है। वैवाहिक संबंधों में भी यौन दुर्व्यवहार हो सकता है और ऐसा तब होता है जब आपकी स्वतंत्रतापूर्वक सहमति के बिना संभोग किया जाता है। यदि आपने दबाव में, डर के कारण, अभित्रस्त होकर या विवश होकर अपने जोड़ीदार के साथ संभोग की स्वीकृती दी या फिर आपने इस डर से यह स्वीकृती दी कि यदि आपने अपने जोड़ीदार के साथ संभोग नहीं किया तो आपको हानि पहुँचाई जा सकती है, तो उसे ईच्छा से या मन से दी गई स्वीकृती के रुप में नहीं देखा जाता।
- ***वित्तीय दुर्व्यवहार*** में आपको अपने हक के पैसे (सैंटरलिंक भत्ते) या आपकी कमाई के पैसे तक पहुँचने से रोकना; आपके और/ अथवा आपके बच्चों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिये यथोचित पैसा न देना; आपकी हर खरीदारी पर निरीक्षण व निगरानी रखना; या वित्तीय सहायता न देने की धमकी देना जैसी बातें शामिल हो सकती हैं।
- ***सामाजिक दुर्व्यवहार*** में परिवार व मित्रों से आपके संपर्क को बन्द या सीमित करने के प्रयास; आपके फोन कॉल्स की निरंतर निगरानी; एवम् पीछा करने जैसी बातें आ सकती हैं॥
- ***साँस्कृतिक एवम् आध्यात्मिक दुर्व्यवहार*** में वो व्यवहार आ सकता है जिससे आपके साँस्कृतिक व आध्यात्मिक विश्वास व मान्यताओं और क्रियाओं के प्रति आदर या सम्मान न झलकता हो; उदाहरणार्थः आपके साँस्कृतिक व आध्यात्मिक विश्वास व मान्यताओं और क्रियाओं की निरंतर आलोचना व अनादर; आपकी पहली या प्रथमिकता वाली भाषा में बात करने से मनाही; आपके लिये साँस्कृतिक रुप से उचित परिधान पहनने पर रोक; या आपको साँस्कृतिक अथवा धार्मिक कार्यक्रमों में जाने से रोकना।
- ***संपत्ति को हानि*** में घर को, घरेलू सामान को या आपके स्वामित्व या काम आने वाली किसी भी चीज को नुकसान पहुँचाना शामिल होता है। उदाहरणार्थः प्लेट तोड़ना, दीवार में मुक्का मार कर छेद कर देना या आपकी कार को खरोंचना।

यह याद रखना आवश्यक है किः

- कोई भी कभी भी दुर्व्यवहार के लायक नहीं होता ।
- दुर्व्यवहार करने वाला स्वयँ अपने व्यवहार के लिये उत्तरदायी होता है ।
- प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षित महसूस करने का अधिकार है ।

IWSS would like to acknowledge the Department of Communities for providing funding for this resource and acknowledge the following organisations for their kind permission to adapt existing resources. IWSS would also like to acknowledge the graphic design created by John Garnsworthy and image by Rachel Apelt.

Funded by

Queensland Government

Domestic Violence Prevention Centre Gold Coast Inc

GARNSWORTHY & ASSOCIATES